न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री हनुमानाराम, RAS)

राजस्व वाद संख्या **82 / 2022** अन्तर्गत धारा 183, 188, 91 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. तेजाराम पुत्र केसराराम 2. हदाराम पुत्र केसराराम जाति जाट, निवासी अलसाणियों की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. ताम्बलराम पुत्र मिरूराम 2. चन्दाराम पुत्र कुचटाराम जाति मेघवाल, निवासी अलसाणियों की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर 3. मानसिंह पुत्र शिवनाथसिंह जाति राजपुत, निवासी अलसाणियों की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर 4. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता वादीगण – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।
2. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3 – श्री बृजमोहन कुमावत।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 29.01.2025

वादीगण के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा अलसाणियों की ढाणी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1180/49 रकबा 13.5974 हैक्टेयर का आया हुआ है। वादीगण के उक्त खेत के सेढासेढ ही प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 61, 1188/60, 1269/59 आये हुए है। वादीगण अपनी खातेदारी में मौके पर निरंतर काबिज काश्त है। वर्तमान में वादीगण की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अतिक्रमण कर अपना कब्जा पुख्ता करने पर आमादा है, जिनका उन्हे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वादीगण द्वारा पूर्व में राजस्व आवेदन संख्या 136/2015 अनवान तेजाराम बनाम ताम्बलराम में आदेश पारित करवाया जाकर अपनी खातेदारी भूमि के चारों तरफ पैमाइश करवाकर रेत के धाबे दिये गये। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा वादीगण के उक्त नेखमबंदी आदेश से असंतुष्ट होकर वादीगण पर अनुचित दबाव बनाने हेतु अनुसुचित जाति व जनजाति का मुकदमा दर्ज करवाया गया। उक्त मुकदमें के अनुसंधान में भी भूमि की पैमाईश करवाई गई, जिसमें भी प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का अतिक्रमण पाया गया। वर्तमान में प्रतिवादीगण वादीगण की खातेदारी भूमि में निर्माण सामग्री डालकर निर्माण कार्य करवाने पर आमादा है, जिससे प्रतिवादीगण को वादीगण की भूमि से बेदखल किया जाना न्यायोचित है। वादीगण द्वारा जब प्रतिवादीगण को निर्माण सामग्री आदि डालने से मना किया तो इससे प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी में जबरदस्ती व बलपूर्वक प्रवेश कर उसे बेदखल करने की धमकियां दी गई तथा झूठे पुलिस मुकदमों में फंसाने की धमकियां दी गई। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उक्त विवादित आराजी के वादीगण रेकर्डेड खातेदार है तथा मौके पर काबिज काश्त है। अतः वादीगण द्वारा उक्त वाद प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि में किये गये जबरन अतिक्रमण को हटाया जाकर उन्हे बेदखल करने एवं निर्माण सामग्री को जब्त कर विवादित आराजी का कब्जा वादीगण को दिलवाने बाबत् वाद प्रस्तुत किया गया है।

वाद पंजीयन कर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश किया गया। उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में तहसीलदार शिव से मौका एवं रेकर्ड के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं संलग्न मौका फर्द अनुसार वादग्रस्त आराजी के सेढापड़ौसी खातेदारान् में से खसरा नम्बर 1269/59 के खातेदार का 1.18 बीघा, खसरा नम्बर 1188/60 के खातेदार का 13.12 बीघा, खसरा नम्बर 61 के खातेदार का 13.00 बीघा, खसरा नम्बर 1275/61 के खातेदार का 0.17 बीघा व खसरा नम्बर 1181/49 के खातेदार का 1.15 बीघा भूमि पर कब्जा होना पाया गया है। जो संलग्न नक्शा में बरंग लाल दर्शाया गया है। चूंकि उक्त वाद में पूर्व में प्रतिवादीगण द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में निगरानी पेश करने पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर द्वारा 1000/– रूपये की कोस्ट पर जवाबदावा हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाने पर वाद पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर जवाबदावा हेतु अवसर दिया जाने पर जवाबदावा पेश किया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के जवाब के आधार पर पत्रावली में तनकीयात कायम की गई, जो निम्नानुसार है –

तनकी संख्या 1 – आया कि वादीगण स्वयं की खातेदारी भूमि मौजा अलसाणियों की ढाणी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1180/49 रकबा 13.5974 हैक्टेयर में प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाया जाकर उन्हे बेदखल करवाने के अधिकारी है।

(जिम्मे वादीगण)

तनकी संख्या 2 – आया कि वादीगण विवादित आराजी में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार है।

(जिम्मे वादीगण)

तनकी संख्या 3 – आया कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी अथवा कब्जा में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करने पर वादीगण उन्हे बेदखल करवाने के अधिकारी नहीं है।

(जिम्मे प्रतिवादीगण)

वादी संख्या 1 द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र पेश किया गया।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वाद को स्वीकार कर वादीगण की खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल करते हुए वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये विधि विरूद्ध अतिक्रमण यथा निर्माण सामग्री आदि को जब्त करते हुए कब्जा वादीगण को दिलवाने जाने का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया तथा साथ ही मौके पर विवाद की स्थिति होने पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस जाब्ता उपलब्ध करवाने का निवेदन किया गया। प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी में किसी प्रकार का अवैध अतिक्रमण नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण वर्षो से अपने कब्जे अनुसार अपनी खातेदारी में काबिज काश्त है। वादीगण द्वारा उक्त वाद मनगढत एवं झूठे तथ्यों के आधार पर मात्र प्रतिवादीगण को परेशान करने की नियत से पेश किया हुआ होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

तत्तकीयात का बिन्दुवार विवेचन किया गया, जिसका विवरण निम्नासार है –

तनकी संख्या 1 :– चूंकि उक्त तनकी वादीगण की खातेदारी भूमि मौजा अलसाणियों की ढाणी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1180/49 में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी पर अतिक्रमण किया हुआ होने से उसे बेदखल करने की इस्तदुआ से संबंधित है और उक्त तनकी को सिद्ध करने का जिम्मा वादीगण पर है। पत्रावली के अवलोकन एवं तहसीलदार मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1180/49 में सेढेपडौसी खातेदारान् खसरा नम्बर 1269/59 के खातेदार का 1.18 बीघा, खसरा नम्बर 1188/60 के खातेदार का 13.12 बीघा, खसरा नम्बर 61 के खातेदार का 13.00 बीघा, खसरा नम्बर 1275/61 के खातेदार का 0.17 बीघा व खसरा नम्बर 1181/49 के खातेदार का 1.15 बीघा भूमि पर कब्जा होना पाया गया है। अतः मौका रिपोर्ट अनुसार वादीगण की खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण पाया जाना सिद्ध होने पर वादीगण अपनी खातेदारी भूमि से अतिक्रमण हटवाने तथा अतिक्रमियों को बेदखल करवाने के अधिकारी होने से उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :– चूंकि उक्त तनकी में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है, जो वादीगण के जिम्मे है। पूर्व में तनकी संख्या 1 के विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण का अतिक्रमण अथवा कब्जा होना पाया गया है, जिसको हटाने बाबत् वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार होने से उक्त तनकी भी वादीगंण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 :– उक्त तनकी में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी में किसी प्रकार कर अतिक्रमण नहीं किया हुआ होने से वादीगण बेदखल करवाने के अधिकारी नहीं होने का अनुतोष चाहा गया है, जो जिम्मे प्रतिवादीगण था। प्रतिवादीगण द्वारा अपनी उक्त तनकी के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट हो कि उनके द्वारा कोई अतिकमण नहीं किया हुआ साबित हो। जबकि तहसीलदार मौका रिपोर्ट में वादीगण की खातेदारी भूमि पर सेढापड़ौसी खातेदारान् का अतिक्रमण व कब्जा होना पाया गया है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण द्वारा अपने पक्ष में निष्पादित करवाने में असफल रहने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। चूंकि जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण विवादित आराजी के रेकर्डेड खातेदार है। वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा किये गये विधि विरूद्ध अतिक्रमण को हटाकर मौके पर निर्माण सामग्री को जब्त/कुर्क की जाकर प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलवाने का निवेदन किया गया है। उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न मौका फर्द अनुसार वादग्रस्त आराजी वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1180/49 में सेढेपडौसी खातेदारान् खसरा नम्बर 1269/59 के खातेदार का 1.16 बीघा, खसरा नम्बर 1188/60 के खातेदार का 13.12 बीघा, खसरा नम्बर 61 के खातेदार का 13.00 बीघा, खसरा नम्बर 1275/61 के खातेदार का 0.17 बीघा व खसरा नम्बर 1181/49 के खातेदार का 1.16 बीघा भूमि पर कब्जा होना साबित है। वादीगण अपने जिम्मे की तनकीयात को अपने पक्ष में निष्पादित करवाने में सफल रहे है। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य या सबूत पेश नहीं किया गया, जिससे सिद्ध हो सके की प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया हो। अतः उक्त स्थिति में वादीगण की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण किया हुआ होने पर वादीगण अपनी खातेदारी भूमि से अतिक्रमण हटाया जाकर प्रतिवादीगण को बेदखल करने के विधिक अधिकारी होने से वाद को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी भूमि मौजा अलसाणियों की ढाणी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1180/49 रकबा 13.5974 हैक्टेयर में भूमि की पैमाईश हेतु राजस्व टीम का गठन कर पैमाईश करने हेतु, तहसीलदार शिव को निर्देशित किया जाता है, साथ ही विवादित आराजी में प्रतिवादीगण का अतिक्रमण व कब्जा पाया जाने पर नियमानुसार अतिक्रमण हटाया जाकर बेदखली की कार्यवाही करते हुए कब्जा वादीगण को सुपुर्द करने के आदेश दिये जाते है। आवश्यकता होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना शिव से पुलिस इमदाद प्राप्त की जावें। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner